review take due care of efficiency, merit and morale while promoting officers to senior ranks in the Government.

**Officials on deputation in International Agencies**

2081. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how many Govt. officials are on deputation to U.N.O., I.L.O., F.A.O. and other international organisations and what are their qualifications; and

(b) what remuneration is being given to each of them, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) The information is at Annexure. (See Appendix CLXIV, Annexure No. 29)

(b) This information is not centrally maintained.

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारी**

2082. **श्री मूलचन्द मीणा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने आई.ए.एस. और आई. पी.एस. अधिकारियों को निलम्बित किया गया है ;

(ख) कितने अधिकारियों को दोष मुक्त करके सेवा में बहाल किया गया है ; और

(ग) इस समय ऐसे कितने मामले लम्बित हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गेट अल्वा)** : (क) से (ग) अखिल भारतीय सेवाओं की मौजूदा योजना के तहत चूंकि सेवा के किसी सदस्य को निलम्बित करने वाला सक्षम प्राधिकारी उन संबंधित सरकारों का होता है, जिनके मामलों के संबंध में, सेवा का सदस्य उस समय कार्य कर रहा हो, इसलिए केन्द्रीय सरकार साथ ही राज्य सरकारें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारों के निलम्बन के विषय में विचार करने के लिए सक्षम होंगी । मामला संबंधित सरकारों की शक्ति तथा सक्षमता के भीतर है तथा ऐसी सूचना भारत सरकार द्वारा सेवा के निलम्बित सदस्य की जाति के विस्तृत ब्यौरों सहित रखी तथा मानीटर नहीं की जाती है।

**प्रधान मन्त्री कार्यालय में प्राप्त अभ्यावेदन**

2083. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
**श्री अजीत जोगी :**
**श्री छोटू भाई पटेल :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान प्रधान मंत्री को संसद सदस्यों से कितने पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने मामलों में 15 दिनों के भीतर पावतियां भेज दी गई और कितने मामलों में अन्तिम उत्तर अब तक नहीं भेजे गए हैं ;

(ग) पावती 15 दिनों के भीतर और अन्तिम उत्तर 3 महीनों के भीतर न भेजे जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) पावती को विलम्ब से भेजने, अन्तिम उत्तर न भेजने और संसद सदस्यों को गुमराह करने के लिए कितने अधिकारी दोषी पाए गए हैं और उन्हें क्या सजा दी गई है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा)** : (क) 1 सितम्बर, 1992 और 28 फरवरी, 1993 के बीच प्रधान मंत्री के कार्यालय (पी.एम.ओ.) में संसद सदस्यों से 4251 पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग) पत्रों की पावतियां सदैव पत्रों के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भेजने के प्रयास किए जाते हैं । जिन याचिकाओं पर कार्रवाई की जानी होती है, उन्हें भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों को भेज दिया जाता है और यह अनुरोध किया जाता है कि याचिकादाताओं को उचित उत्तर भेज दिया जाए। इसलिए यह कहना कठिन है कि संबंधित एजेंसियों द्वारा कितने मामलों में तीन महीनों के भीतर अन्तिम उत्तर भेज दिए गए तथा उन मामलों की संख्या क्या है जिनमें कोई उत्तर नहीं दिया गया है। चूंकि याचिकाओं का उत्तर देने के लिए प्रायः विभिन्न स्रोतों से सामग्री एकत्र करनी होती है, इसलिए अन्तिम उत्तर भेजने में काफी समय लगता है। तथापि, इनमें से 1735 पत्र प्रधान मंत्री के कार्यालय से संबंधित थे और अब तक उनमें से 865 पत्रों का निपटान किया जा चुका है ।

(घ) मन्त्रालयों/विभागों के सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पावतियां और अन्तिम उत्तर शीघ्र भेजने के लिए कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में दिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करें । कार्याविधि के उल्लंघन के मामलों में निर्धारित अनुशासनात्मक क्रियाविधि के अनुसार कार्रवाई की जाती है। चूंकि इस समय प्रधान मंत्री के कार्यालय द्वारा संसद सदस्यों को भेजे गए उत्तरों के केन्द्रीकृत आकड़े रखने की कोई पद्धति नहीं है, इसलिए यह कहना कठिन है कि ऊपर उल्लिखित उपबंधों के संबंध में कितने अधिकारी दोषी पाए गए और उन्हें क्या सजा दी गई है।

**Panel of 1964 Batch IAS Officers for the Post of Additional Secretary**

2084. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

SHRI MENTAY PADMANABHAM:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the empanellment has been done of the IAS officers of 1964 batch for the post of Additional Secretaries to Government of India;

(b) if so, the number and names of officers so empanelled; if not so, how long would it take to do so;

(c) whether Government have prepared a panel of non-IAS officers of 1962 batch for promotion to the Additional Secretaries post; if so, the names of those officers and by when the left overs would be brought on the panel?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) No, Sir.

(b) The matter is receiving the attention of the Government.

(c) Non-IAS officers who fulfil the eligibility criteria are considered for empanellment to hold Additional Secretary/equivalent posts. In 1991 the officers upto 1963 batch were considered and 11 officers (including one officer of 1962 batch) were empanelled. In 1992, officers upto 1965 batch were considered and 5 officers were empanelled. The cases of left-over officers are periodically reviewed for empanellment.